

## केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX

## हैदराबाद जी.एस.टी आयुक्तालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, CADRE CONTROLLING AUTHORITY HYDERABAD GST COMMISSIONERATE

जीएसटी भवन, एलबी स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004

Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcommr@gov.in; cgst.hydcca@gov.in

C. No. II/3/03/2024-Estt (CCA)



Date: 06.06.2024

# स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 63/2024 ESTABLISHMENT ORDER (G.O.)No.63/2024

विषय : स्थापना - केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के संवर्ग में नियमित आधार पर पदोन्नति - संबंधित

Sub: - Estt. - Promotions to the Cadre of Superintendent of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) on regular basis -Reg.

दिनांक 04.06.2024 को आयोजित डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र के साझा संवर्ग में केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को रिक्ति वर्ष 2024 के लिए नियमित आधार पर और स्वस्थाने केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के अधीक्षक, ग्रुप 'वी' (राजपत्रित) के कैडर में 7 वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल -8 में रुपये 47600-151100 के वेतनमान में (4800/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ रुपये 9300-34800 का पूर्व-संशोधित वेतनमान) में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पदोन्नत किया जाता है।

As per the recommendations of the DPC held on 04.06.2024, the following Inspectors of Central Tax & Customs in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zone are **promoted to the cadre of Superintendent** of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) **on Regular basis and on in-situ basis** for the **vacancy year 2024** in the pay scale of Rs. 47600-151100 in Level-8 as per 7th CPC pay matrix (pre-revised scale of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4800/-), with immediate effect and until further orders.

क्र सं SL. NO.	अधिकारी का नाम NAME OF THE OFFICER सुश्री/ श्री / श्रीमती (S/SHRI/SMT.)	श्रेणी CATEGORY	जन्म तिथि DATE OF BIRTH	वर्तमान तैनाती PRESENT PLACE OF POSTING
01	D Hemalatha	SC	10.12.1967	CPC Vijayawada
02	K Padmaja	SC	15.08.1968	Guntur GST
03	B C K Raju	UR	28.06.1964	Secunderabad GST
04	P L N Raju	UR	23.03.1965	Visakhapatnam GST
05	V Brahmaji Rao	UR	10.06.1968	Rangareddy GST
07	V Vishnu Mohan Rao	UR	26.10.1964	Rangareddy GST
08	Ch. Chandra Sekhar	UR	28.02.1965	Secunderabad GST

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति किसी न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित विभिन्न मुकदमों के (यदि कोई हो) परिणाम के अधीन होगी।

The promotion of above officers will be subject to the outcome of court cases, if any, pending before any judicial fora.

3. उपर्युक्त अधिकारियों का वेतन, निर्धारित अविध के भीतर विकल्प प्राप्त करने के बाद, किल्पत पदोन्नित की तिथि से एफ. आर. 22 (I) ए (1) के अनुसार निर्धारित किया जाए। तथापि, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें कोई वकाया देय नहीं होगा।

The pay of the above mentioned officers may be fixed as per F.R.22 (I)a(1) from the date of notional promotion, after obtaining the Option within the prescribed period. However, no arrears shall be payable till the actual date of joining in the cadre of Superintendent of Central Tax & Customs.



4. जो अधिकारी वर्तमान में अन्य फार्मेशनों में प्रतिनियुक्ति/ऋण के आधार पर तैनात हैं और अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर अधीक्षक के पद को स्वीकार करने की अपनी स्वीकृति ई-मेल (cgst.hydcca@gov.in) पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अधिकारियों को 28.06.2024 को या उससे पहले अपने मूल सीसीए/ मुख्य आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

The officers who are presently on deputation/loan basis to other formations and desire to avail promotion in the cadre of Superintendent are directed to furnish their willingness to accept the post of Superintendent within seven working days from the date of issue of this order, on e-mail (cgst.hydcca@gov.in). Such officers will have to report to their parent CCA/Chief Commissioner's Office on or before 28.06.2024.

5. विशाखपट्टणम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त से अनुरोध है कि वे विशाखपट्टणम क्षेत्र से पदोन्नत अधिकारियों को विशिष्ठ तैनाती जारी करें।

The Chief Commissioner, Visakhapatnam Zone is requested to issue specific posting to the officers promoted from Visakhapatnam Zone.

6. अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट संबंधित आयुक्तालयों द्वारा सीसीए, हैदराबाद को 01.07.2024 तक भेजी जाए।

Compliance report about the assumption/non-assumption of charge of the officers should be sent to CCA, Hyderabad by the concerned Commissionerates latest by **01.07.2024**.

- 7. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही अभिभावी होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 8. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
  This issues with the approval of the competent authority.

(B. RAGHU KIRAN)

. अपर आयुक्त (सं.नि. प्रा)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

#### प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individuals (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

## प्रतिलिप Copy submitted to:

- 1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, जीएसटी , हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र.
  The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, GST, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone.
- 2) सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, हैदराबाद और विशाखपट्टणम क्षेत्र। All the Principal Commissioners/ Commissioners of Customs & Central Tax, Hyderabad & Visakhapatnam Zone.
- 3) अपर महानिदेशक, डी.जी.जी.आई/डी.जी.आर.आई/डी.जी (सतर्कता) / डी.जी (लेखापरीक्षा)/ डी.जी.पी.एम, हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद।
  The Additional Director General, DGGI/DRI/DG(V)/DG (Audit)/DGPM,
  Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
- 4) अपर महानिदेशक, नासिन, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद। The Additional Director General, NACIN, Hyderabad Zonal Training Institute, Hyderabad.

### प्रतिलिप Copy to:

1) सभी मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं भुगतान अधिकारी, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, हैदराबाद और विशाखपट्टनम क्षेत्र। All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad & Visakhapatnam Zone.

- 2) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र.
  - The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 3) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' गैर-राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र.
  - The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Non-Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 4) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु. जा. /अनु. जन. कर्मचारी कल्याण संगठन, हैदराबाद क्षेत्र
  - The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC /ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.
- 5) अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग, मु.आ.का., हैदराबाद क्षेत्र को क्षेत्रीय वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। The Superintendent, Computer Section, CCO, Hyderabad Zone for uploading in the Zonal Website.

6) सूचना बोर्ड /स्टॉक फ़ाइल Notice Board / Stock File.

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (का. नि. प्रा) ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)